राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(82) ग्राविवि / ग्रुप–5 / जीकेएन / बीएसआर / धौलपुर / 2015–16 जयपुर, दि 30 मई, 2019

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद, धौलपुर।

विषय :– जिला दर निर्णायक समिति द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार बीएसआर 2019–20 के लिए ऑन लाईन साफ्टवेयर में अपलोड कराने बाबत।
प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 29.4.2019

जिला दर निर्णायक समिति द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए अनुमोदित दरों का विभागीय स्तर पर मिलान "ऑनलाईन बीएसआर सॉफ्ट पर दर्ज दरों" से करने पर पाये गये अन्तर बाबत प्रासांगिक पत्र द्वारा सूचित कर संबंधित दोषी अधिकारी / कार्मिक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर ऑन लाईन सॉफ्टवेयर में तत्काल तदनुसार आवश्यक संशोधन दर्ज कराने बाबत् निर्देशित किया गया था, परन्तु ऑन लाईन सॉफ्टवेयर में अभी तक अपेक्षित संशोधन प्रदर्शित नहीं हुआ है, जो कि खेदजनक है। राजकीय कार्य के प्रति गम्भीर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

अतः जिला दर निर्णायक समिति द्वारा अनुमोदित दर अनुसार ही बीएसआर दरें 3 दिवस में ऑनलाईन सॉफ्ट पर इन्द्राज कराकर, ऑन लाईन सॉफ्टवेयर में अभी तक अपेक्षित संशोधन दर्ज नहीं कराने के सम्बन्ध में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्पष्टीकरण के साथ ऑनलाईन बीएसआर सॉफ्ट पर भिन्न दर दर्ज करने हेतु दोषी अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही कर विभाग को अवगत करावे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि.।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र), धौलपुर, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)